संख्या : 106 /XVII-1/2009-11(11)/2008

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–01. देहरादून, 29 जनवरी 2009.

विषय : शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजनान्तर्गत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर में अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–3242/स.क./बा.ज.जी.छात्रा/2008–09, दिनांक 11 नवम्बर 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजनान्तर्गत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर में अनुसूचित जाति की छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आगणन के तकनीकी परीक्षणोपरान्त रूपये 1,01,39,000/– की औचित्यपूर्ण धनराशि पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में प्रथम किस्त के रूप में रूपये 50,00,000/– (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15 दिसम्बर 2008 के प्रावधानानुसार कार्यदायी संस्था के साथ अवश्य एम.ओ.यू. सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें "शिड्यूल ऑफ रेट" में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाए।
4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितने कि स्वीकृत मानक हैं, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी त्रुटि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग और "MORTH" द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
6. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।
7. आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उन्हीं मदों पर किया जाए। एक मद की धनराशि दूसरी मदों में कदापि व्यय न की जाए।
8. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में परीक्षण करा लिया जाए तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।
9. उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण किए जाएंगे। कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्य को समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण किया जाए। विलम्ब के कारण यदि आगणन का पुनरीक्षण किया जाता है तो उसे अपने निजी स्रोतों से वहन करेंगे। स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाए।

10. स्वीकृत धनराशि का व्यय बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
11. कार्य कराते समय निविदा विषयक नियमों एवं मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।
12. एकमुश्त प्राविधानों को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
13. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाए तथा कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।
14. शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), 30 मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
16. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की 'अनुदान संख्या-30' के 'आयोजनागत मद' के संख्याशीर्षक '4225-अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-02-अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु छात्रावासों का निर्माण (50 प्रतिशत केन्द्र सहायता) (चालू कार्य)' के मानक मद '24-वृहत् निर्माण कार्य' के नामे डाला जाएगा।
17. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-546(P)/XXVII-3/2008-09, दिनांक 20 जनवरी 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 106 (1)/XVII-1/2009-11(11)/2008, तद्दिनांक :
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव-माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, बागेश्वर, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. कोषाधिकारी, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल, उत्तराखण्ड।
8. जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर, उत्तराखण्ड।
9. परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, बागेश्वर, उत्तराखण्ड।
10. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
11. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(सी.एम.एस. बिष्ट)
अपर सचिव।